राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

कमांक : राजपत्रित / संस्थां / प्रीपीजी–2024 / 2024 / 125 दिनांक : 15 / 05 / 2024

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज।
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
समस्त अधीक्षक जेल, राजस्थान, अन्य नियंत्रण अधिकारी।

**विषयः–** प्री–पीजी 2024 में सेवारत कोटे से पात्र चिकित्सको के आवेदन पत्रों की अनुशंषा कर भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रीपीजी 2024 हेतु आपके अधीन कार्यरत चिकित्सकों जिन्होंने एक वर्ष व उससे अधिक की अनिवार्य राजकीय सेवा सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में / मरू या जनजाति क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में सेवां पूर्ण कर ली है एवं प्रोबेशन काल में कार्यरत चिकित्सक / जिनका प्रोबेशन काल दिनांक 30.04.2024 तक पूर्ण नही हुआ है, को प्री–पीजी में आवेदन करने के लिए संलग्न निर्धारित प्रपत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात संबंधित चिकित्सक इन्हे व्यक्तिगत रूप / पत्रवाहक के साथ मूल दो प्रतियों में दिनांक **31.05.2024 सांय 05.00 बजे** तक **उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.), राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय के कमरा नं. 19, स्वास्थ्य भवन, जयपुर** में जमा करवाकर पावती प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें एवं आवेदन प्रपत्रो पर स्पष्ट अनुशंषा कर भिजवाये; साथ ही संलग्न निर्देश (कम संख्या 1 से 15) की पालना अपने स्तर से सुनिश्चित कर लें। साथ ही अग्रेषित फार्म की अग्रिम स्पष्ट पठनीय छायाप्रति पीजी सैल, मुख्यालय के ई–मेल आईडी– **pgcellgaz2022@gmail.com** पर नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

-sd-

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।

कमांक : राजपत्रित / संस्थां / प्रीपीजी–2024 / 2024 / 125 दिनांक : 15 / 05 / 2024

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (आर.सी.एच. / एड्स / ईएसआई / एमएसयू), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित), मुख्यालय।
5. **समस्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि वे संलग्न आवेदन प्रपत्र दो प्रतियों में पूर्णतया सत्य तथ्यों को अंकित करते हुए नियंत्रण अधिकारी से अनुशंषा करवाकर वर्णित दिनांक तक भिजवाना सुनिश्चित करें। अंतिम तिथि पश्चात प्रेषित आवेदन प्रपत्र स्वीकार नही किये जावेगे। गलत सूचना देने अथवा सूचना छुपाने पर पडने वाले विपरित प्रभाव के लिए चिकित्सक स्वयं जिम्मेदार होगा।**
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त पत्र अविलम्ब विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त नियंत्रण अधिकारियों को ई–मेल करावे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान, जयपुर।

| नियमित | प्रोबेशनर | यूटीबी | पीपीपी मोड |
|---|---|---|---|

दिनांक 31.05.2024 सायं काल 5.00 बजे तक दो मूल प्रतियां नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित गोल मोहर में प्रस्तुत करे।

## –:प्री–पीजी 2024 मे सेवारत कोटे में पात्रता हेतु आवेदन प्रपत्र:–

नाम चिकित्सक (हिन्दी में):–
(MBBS/DENTAL)

Name Docter (English):-

पिता का नाम:–

Father's Name (English):-

जन्मतिथि:–

राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि–

दिनांक 30.04.2024 तक प्रोबेशन पूर्ण :– हॉ/नहीं

ऑल इंडिया पीजी 2024 रोल नम्बर /NEET PG 2024 Application ID:–

मोबाईल नम्बर :–1.
2.

एम्लाई आईडी:–

वर्तमान पदस्थापन स्थान:–

नीट पीजी में सम्मिलित होने के लिए नियंत्रण अधिकारी को सूचना (INIMATION LETTER) से अवगत कराया गया– हॉं/नहीं

यदि हॉ तो सूचना (INIMATION LETTER) की छायाप्रति सलंग्न करे –

| A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नियुक्ति का प्रकार | जिले का नाम | पदस्थापन स्थान | कब से (DD/MM/YYYY) | कब तक (DD/MM/YYYY) | कुल दिवस (D+E) | शहरी क्षेत्र | सामान्य ग्रामीण क्षेत्र | मरू/जन जाति क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र | अवैतनिक अवकाश (EOL) (DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY) | शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति/कार्यसम्पादन अवधि कब से कब तक (DD/MM/YYYY to DD/MM/YYYY) कुल दिवस |
| | | | | | | | | | (इस अवधि को गणना योग्य अवधि में सम्मिलित नहीं किया जावे) | |
| यू.टी.बी. | | | | | | | | | | |
| पी.पी.पी. मोड | | | | | | | | | | |
| RPSC/ RUHS | | | | | | | | | | |
| कुल योग | | | | | | | | | | |

शहरी क्षेत्र में की गई सेवा की अवधि – दिवस.......................................

सामान्य ग्रामीण क्षेत्र में की गई सेवा की अवधि – दिवस.......................................

मरू/जनजाति क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में की गई सेवा की अवधि – दिवस.......................................

गणना योग्य कुल सेवा अवधि 30.04.2024 तक (सामान्य/मरू/जनजाति क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की अवधि)– दिवस.......................................

*(उक्त दिवसो को नियंत्रण अधिकारी द्वारा गोल मोहर वाली सील में अंकों में दर्शाते हुए अंकित किया जावे)*

(कुल गणना योग्य..................दिवस)

(गणना योग्य कुल सेवा अवधि में सामान्य /मरू/जनजाति क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में की गई सेवा अवधि को ही सम्मिलित किया जाए साथ ही अवैतनिक अवकाश (EOL) एवं शहरी क्षेत्र में प्रतिनियुक्ति/कार्यसम्पादन अवधि को ग्रामीण सेवा की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाए)

नोट:– सेवारत कोटे में पूर्व में पीजी पूर्ण करने/वर्तमान में अध्ययनरत रहने/प्रवेश लेने के पश्चात त्यागपत्र देने संबंधी विवरण..........................................
..........................................................................................................................................

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना जो मेरे द्वारा भरी गई है पूर्णतया सत्य है। इसमें कोई तथ्य गलत अंकित/छुपाया नहीं गया है। यदि इन तथ्यों में कोई असत्यता पाई जाती है तो इस संबंध में पडने वाले विपरित प्रभाव/अनुशासनात्मक कार्यवाही की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर प्रार्थी

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का मिलान सेवाभिलेख से करने के पश्चात सत्यापित किया गया है जो कि सही है। डॉ0.............................. द्वारा अनिवार्य सेवा समान्य ग्रामीण क्षेत्र/मरू या जनजाति क्षेत्र में स्थित ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण कर ली गई है एवं नियंत्रण अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देशों (01 से 15) की पालना भी कर ली गई है। चिकित्सक को सेवारत कोटे से प्रीपीजी 2024 हेतु पात्र माने जाने की अनुशंषा की जाती है।

नियंत्रण अधिकारी हस्ताक्षर (संलग्न निर्देशों में क.सं. 1 व 15 के अनुसार)

प्रतिहस्ताक्षर

नियंत्रण अधिकारियों हेतु आवश्यक निर्देश –

1. सेवारत कोटे में पात्रता की गणना पूर्णतया संबधित निदेशक/प्रधानाचार्य/अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य नियंत्रण अधिकारी द्वारा अग्रेषित प्रमाण प्रपत्र के आधार पर की जाएगी। उक्त वर्णित अधिकारियों के अतिरिक्त अग्रेषित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा।
2. संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के नवीनतम स्थिति हेतु प्रपत्र अग्रेषित करने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.04.2020, दिनांक 28.06.2021, दिनांक 18.05.2022, दिनांक 16.08.2022, दिनांक 05.04.2023 एवं दिनांक 13.05.2024 में चिकित्सा संस्थान को नाम को ग्रामीण/दुर्गम/दुरस्थ घोषित किया गया है या नही की पुष्टि आवश्यक रूप से कर ली जाए।
3. पात्रता की गणना में चिकित्सक द्वारा स्वीकृत अथवा अनिर्णित अवैतनिक अवकाश (EOL) अवधि को सम्मिलित नहीं किया जाए।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग के अधिसूचना कमांक प.1(1)चिस्वा/2/2021 जयपुर दिनांक 20.12.2021 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी संख्या 11692/2017 डॉ0 अमित बागड़ा बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2017 की पालना में सेवारत चिकित्सको को पीजी प्रवेश परीक्षा में अतिरिक्त लाभ देने हेतु विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.06.2021 जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना की निरंतरता में कोविड 19 की प्रथम/द्वितीय लहर के दौरान विषम परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित चिकित्सक जिनकी सेवाये आवश्यकता अनुसार आर.यू.एच.एस., मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों एवं जिला अस्पतालों में दी गई सेवाओ को भी रिमोट, डिफिकल्ट एवं ग्रामीण क्षेत्र में गणना योग्य माना जाकर उनको नीट पीजी में 10,20,30 प्रतिशत का अतिरिक्त लाभ एमसीआई के रेग्यूलेशन, 2000 के प्रोविजो 9(4) के तहत दिये जाने हेतु पात्र माना जावे।
5. आपके अधीन कार्यरत चिकित्सकों की दिनांक 30.04.2024 तक की अवधि को गणना हेतु सम्मिलित किया जाए।
6. पीपीपी मोड/यूटीबी पर कार्यरत चिकित्सकों के आवेदन पत्र उनके द्वारा दिनांक 30.04.2024 तक न्यूनतम एक वर्ष नियमित (निरंतर) रूप से कार्य करने की स्थिति में गणना कर अग्रेषित करें।
7. शहरी क्षेत्र में कार्य संपादन/प्रतिनियुक्ति अवधि को गणना योग्य अवधि में सम्मिलित नहीं किया जाए।
8. शहरी क्षेत्र/ऐसे चिकित्सा संस्थान जहाँ पर पीजी बोनस मार्कस देय नही है, में पदस्थापित चिकित्साको को सेवारत कोटे का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र निदेशालय में जमा करवाया जाना अनवार्य होगा।
9. पीसीपीएनडीटी कोर्स की काउसिलिंग में भाग लेने वाले चिकित्सकों को भी निर्धारित प्रपत्र निदेशालय में जमा करवाया जाना अनवार्य होगा।
10. प्रोबेशन काल में कार्यरत चिकित्सक एवं जिन चिकित्सकों का प्रोबेशन काल दिनांक 30.04.2024 तक पूर्ण नहीं हुआ है, का पीजी में चयन होने पर वित्त (नियम) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.01.2022 के अनुसार असाधारण अवकाश देय होगा। जिसके फलस्वरूप उक्त प्रोबेशन काल में कार्यरत चिकित्सको को भी निर्धारित प्रपत्र निदेशालय मे जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।
11. निर्धारित प्रपत्र में ऊपर दी गई तालिका में चिकित्सक के सेवा अनुसार नियमित/प्रोबेशनर/यूटीबी/पीपीपी मोड पर (लाल स्याही वाले पेन से) गोला (O) करना सुनिश्चित करें।
12. पूर्ण आवेदन जिसे नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है की एक अग्रिम स्पष्ट पठनीय छायाप्रति अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) के ई–मेल आईडी **pgcellgaz2022@gmail.com** पर भिजवाते हुए 2 मूल प्रतियां संबंधित चिकित्सक को लौटा दी जाए। संबंधित चिकित्सक इन्हें व्यक्तिगत रूप/पत्रवाहक के साथ दिनांक 31.05.2024 सांय 5.00 बजे तक उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.), राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय के कमरा नं. 19, स्वास्थ्य भवन, जयपुर में जमा करवाकर पावती प्राप्त कर लें। **उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन प्रपत्रों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा जिसके लिए संबंधित चिकित्सक स्वयं जिम्मेदार होगा।**
13. सेवारत कोटे में पूर्व में पी.जी. पूर्ण कर चुके/वर्तमान में पी.जी. कर रहे/पी.जी. में प्रवेश लेने के पश्चात त्यागपत्र दे चुके चिकित्सकों के पुनः सेवारत कोटे से पात्र होने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ राज्य सरकार को प्रेषित किए जायेंगे।
14. केवल उन्ही चिकित्सकों के आवेदन पत्रों पर अनुशंषा की जावे जिन्होंने पीजी (नीट–2024) में सम्मिलित होने हेतु नियंत्रण अधिकारी को सूचना (INIMATION LETTER) से अवगत कराया गया।
15. चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंषा किए जाने से पूर्व उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर ली जाए। यदि इस संबंध में कोई अभ्यावेदन अथवा न्यायिक कार्यवाही अमल में लाई जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित चिकित्सक/नियंत्रण अधिकारी की होगी।